जैविक कृषि का उत्पादकता पर प्रभाव : राजस्थान के विशेष संदर्भ में

Mukesh Kumar Sankhala

Research Scholar
Department of Geography , UOR Jaipur

सार

सभी समस्याओं से निपटने के लिये कुछ वर्षो से निरन्तर टिकाऊ खेती के सिद्धान्त पर कृषि करने की सिफारिश की गई जिसे हम **"जैविक खेती"** के नाम से जानते है। राजस्थान सरकार इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार–प्रसार भी कर रही है राजस्थान में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। भोजन की आपूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद एवं जहरीली कीटनाशक दवाओं का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र (Ecology System) प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान–प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की आय का मुख्य स्त्रोत हीकृषि है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था उत्पादन वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ता है। जिससे जल, भूमि और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं।

मुख्य शब्द : पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक खेती रासायनिक उर्वरक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ।

प्रस्तावना

कृषि प्रदान राज्य है। इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है इसकी पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लायी गयी और **"अधिक अन्य उपजाओं"** का नारा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असन्तुलित उपयोग प्रारम्भ हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के असन्तुलित प्रयोग का प्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि इसका कुप्रभाव पानी, भूमि एवं पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है।

रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का भूमि में प्रयोग भूमि को मृत माध्यम मान कर किया गया है। अतः भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा करके खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें भूमि को एक जीवित सजीव माध्यम माना जाए। मृदा में असंख्य जीव रहते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक तो होते ही है साथ में पौधों की वृद्धि हेतु पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाते हैं। मिट्टी पौधों में वृद्धि एवं विकास का माध्यम है। पौधों के समुचित विकास एवं फसलोत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद एवं उर्वरा होना नितांत आवश्यक है।

जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद पोषक तत्वों (गोबर की खाद कम्पोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि) जैव नाशियों (बायो–पैस्टीसाईड) व बायो एजेन्ट जैसे क्राईसोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता तथा कृषि लागत घटने व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती वह **"सदाबहार कृषि"** पद्धति है. जो पर्यावरण की शुद्धता, जल व वायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाले, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली, धैर्यशील कृत संकल्पित होते हुए रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक

को कम लागत से दीर्घकालीन स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारम्परिक पद्धति है। वैसे तो जैविक खेती हमारी सांस्कृतिक विरासत और कृषि पद्धति में परम्परागत रूप से समाहित रही है।

लेकिन देश में हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त अतिशय रासायनिक पोषकों के दुष्परिणामों और कृषिजनित पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं ने हमारे किसानों को फिर से जैविक खेती की ओर अग्रसर किया है। किसानों के इस प्रयास की समग्रता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था जिसके तहत जैव उत्पादन प्रमाण एजेंसियों हेतु मान्यता कार्यक्रम, जैव उत्पादों के मानक एवं मानीकरण, जैविक खेती का प्रसाद जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। इसका अनुसरण करते हुए राज्यों यथा उत्तराखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, नागालैण्ड मिजोरम, सिक्किम ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की अनुकरणीय पहले की है।

जैविक खेती के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्ययोजना तैयार करते समय यह आवश्यक माना गया कि जैविक खेती वाले प्रत्येक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता आधारित आंकड़ों के साथ ही जिलेवार विवरण हेतु आधारभूत सर्वेक्षण की योजना तैयार होनी चाहिए।

राज्य कृषि को जैविक प्रबंधन की ओर अग्रसर करने के लिए दूसरी हरित क्रांति की रूपरेखा कृषि प्रणालियों के कार्बनिक प्रबंधन पर केन्द्रित है जो जैविक संसाधनों के समृद्ध पूर्वोत्तर भारत में वर्ष 2010–11 में 400 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान के सात राज्यों–असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है और इसे **"ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन इस्टर्न इंडिया (बीजीआरईआई)"** कार्यक्रम नाम दिया गया है।

इससे राज्य के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में ज्यादा उपज वाले संकर और बौने बीजों के इस्तेमाल, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौध संरक्षण, फसल चक्र भू–संरक्षण और ऋण आदि के लिए किसानों को बैंकों की सुविधाएं मुहैया करा कर तेजी से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। इसके ठोस नतीजे भी आने शुरू हो गए है। केन्द्रीय बजट 2012–13 में 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान इस कार्यक्रम हेतु किया गया और इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण–पत्र में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है।

इसलिए राज्य सरकार ने वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी वर्ष 2014–15 में बजट राशि घोषित की थी। अब सरकार जैविक खेती को राज्य भर में सम्पूर्णता और सघनता से आंदोलित करने के लिए राष्ट्रीय सतत खेती मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम पर मिशन आईसीएआर की जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना के तहत विभिन्न योजनाओं ६ कार्यक्रमों के जरिये जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

इस हेतु केन्द्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी **"कृषि व्यवस्था अनुसंधान"** के लिए परियोजना निदेशालय' मोदीपुरम, मेरठ को दी गई है, जो इसे 12 राज्यों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित 13 सहकारिता केन्द्रों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। इस योजना में 14 फसलें– साबमती चावल गेहूं मक्का, चना, चिपकी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों इसबगोल, काली मिर्च, अदरक, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी कवर की गई है।

जैविक खेती का उद्देश्य

इस प्रकार की खेती करने का मुख्य उद्देश्य रासायनों उर्वरकों के स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक करता है। जैविक खेती का प्रारूप निम्नलिखित के क्रियान्वित करने से प्राप्त किया जा सकता है।

- कार्बनिक खादों का उपयोग।
- जीवाणु खादों का प्रयोग
- फसल अवशेषों का उचित उपयोग।

- जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण ।
- फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना ।
- मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना।

जैविक खेती का महत्व

- भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन।
- जैविक खेती प्रदूषण रहित।
- कम पानी की आवश्यकता।
- पशुओं का अधिक महत्व।
- फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं।
- अच्छी गणुवत्ता की पैदावार।
- कृषि मित्रजीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोत्तरी।
- स्वास्थ्य में सुधार।
- कम लागत ।
- अधिक लाभ।

जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से एक क्लस्टर आधारित कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, जिसका नाम **'परम्परागत कृषि विकास योजना'** (पीकेवीवाई) है, जिसके तहत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या अधिक किसान एक क्लस्टर बनाएंगे, जिनके पास 50 एकड़ भूमि है। इस तीन वर्षो के दौरान जैविक खेती के तहत 10000 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जो 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेंगें।

जैविक खेती की अनुकरणीय पहले : मध्यप्रदेश देश में जैविक खेती को आन्दोलित करने वाली पहला राज्य है जिसने वर्ष 2001–02 में प्रत्येक खण्ड से चयनित कर 313 गांवों में जैविक खेती की शुरूआत की और इन्हें ''जैविक गांव'' नाम दिया गया। सरकार के सघन प्रचार–प्रसार और व्यापक प्रयासों के चलते प्रदेश में जैविक खेती आन्दोलन का रूप ले चुकी है और आज यह जैविक खेती के मामले में देश का पहला राज्य बन गया है। जहां 2.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है, जो इसके सकल फसली क्षेत्र 225.5 लाख हैक्टेयर का 1.06 प्रतिशत है।

यह जैविक खेती की सर्वाधिक सम्भावना वाला राज्य है। नवनिर्मित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ भी जैविक खेती के मामले में काफी आगे निकल चुका है। यहां के बस्तर और सरगुजा संभागों के किसान तेजी से जैविक खेती अपना रहे हैं। राज्य में औषधीय और संगठित पौधों की अनूठी संम्पदा है जिसे जैविक खेती के माध्यम से सवंर्धित किया जा सकता है। इस समय प्रदेश में करीब 4300 हैक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है जो इसके फसली क्षेत्र 57 लाख हैक्टेयर का 0.08 प्रतिशत है और संघन सरकारी प्रयासों व जागरूकता अभियानों के चलते 13 हजार हैक्टेयर में जैविक खेती को अपनाने की तैयारी है।

हिमालय की गोद में अविस्थत उत्तराखण्ड में कृषि की मौलिक प्रकृति ही जैविक है लेकिन इसकी जैविकता और विविधता संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रयासों के तहत यहां जैविक खेती की शुरूआत वर्ष 2003 में हुई थी और वर्तमान में करीब 25 हजार हैक्टेयर में जैविक तरीके से खेती की जा रही है जो इसके सकल फसली क्षेत्र 11.32 लाख हैक्टेयर का 2.21 प्रतिशत है। इसमें करीब 80 प्रतिशत पर्वतीय और शेष मैदानी क्षेत्र है।
यहां बहुत–सी फसलें परम्परागत जैविक तरीके से उत्पादित और संरक्षित की जा रही हैं, इसके लिए राज्य में कई संगठन भी सक्रिय हैं जैसे बीज बचाओ आन्दोलन लघु अनाज मंडुआ की 12 और झंगोरा की 8 उत्कृष्ट प्रजातियों के संरक्षा में किसानों को मदद कर रहा है।

इसके लिए सिक्किम विधानसभा ने वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य के सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र एवं पद्धति को जैविक तरीके में परिवर्तित करने हेतु **''सिक्किम स्टेट आर्गेनिक बोर्ड''** का गठन किया। इसी विधान के तहत रासायनिक पोषकों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित करते हुए इन पर देय सब्सिडी को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। वर्ष 2006 में सिक्किम सरकार ने केन्द्र सरकार के रासायनिक खाद कोटे को उठाना बन्द करते हुए राज्य के सभी सरकार एवं निजी बिक्री केन्द्रों को बन्द कर दिया।

इसके विकल्प के तौर पर कार्बनिक कृषि के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2009 तक 24536 कम्पोस्ट की तथा 14487 बर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित कर राज्य के करीब 400 गांवों को जैविक गांव कार्यक्रम के अधीन लाया गया जिसके तहत 3 करोड़ रूपये की लागत से 4 जिलों के 14 हजार किसानों की 14 हजार एकड़ भूमि को कवर किया गया। राज्य के 62 हजार कृषक परिवारों को वर्ष 2015 तक पूर्णतः जैविक खेती के लिए तैयार करने एवं उनकी बहुआयामी सहायता के लिए राज्य के सरकारी कृषि फार्मो नाजीटाम और मेलीडारा को उत्कृष्ट **''जैविक शोध केन्द्र''** के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, भंडारण, मार्केटिंग एवं आकर्षक मूल्यों हेतु मंडियों एवं बिक्री केन्द्रों की भी स्थापना कर रही है।

प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान में 67 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कीजा रही है जो इसके सकल फसली क्षेत्र 246 लाख हैक्टेयर का 0.27 प्रतिशत है। यहां अनेक फसलों जैविक तरीके से उगाई जा रही हैं, **बांसवाड़ा, झालावाड, अलवर, श्रीगंगानगर** सहित आसपास के क्षेत्र में जैविक खेती के सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। राजस्थान के शेखावाटी स्थित **''मोरारका फाउंडेशन''** ने जैविक खेती की दिशा में भूमि, जल, उर्वरा उत्पाद, बाजार और प्रसार इत्यादि पर क्रांतिकारी काम किया है। यह किसानों को जैविक खेती की जानकारी प्रशिक्षण, सहायता और विक्रय बाजार सुलभ करा रहा है, इसके प्रयासों से आज पूरा **''शेखावाटी क्षेत्र''** रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह हो गया है। क्षेत्र के किसान बताते हैं कि जैविक खेती से उनकी खेती की लागत में 80 प्रतिशत की कमी और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार सहित उनकी आय में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

यह फाउंडेशन **''वर्मीकल्चर''** का बहुधा प्रयोग करते हुए करीब एक लाख एकड़ भूमि में जैविक खेती का विकास कर चुका है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995 में इस फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के 10 किसानों को जैविक खेती की शुरूआत के लिए प्रेरित किया था और आज दो लाख से अधिक किसान जैविक तरीके से खाद्यान्न, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन और मसालों का उत्पादन कर दिल्ली और मुम्बई के बाजारों में सीधे पहुंचा रहे है। आज शेखावाटी क्षेत्र के जैविक उत्पाद ब्रांड का रूप ले चुके हैं और पिछले डेढ़ दशकों से शेखावाटी उत्सव जैविक भोज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है।

इस फाउंडेशन ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने और उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई एग्री बिजनेस केन्द्र खोलते के अलावा मुम्बई में जैविक उत्पादों का देश का पहला और सबसे बड़ा रिटेल स्टोर **'डाउन टू अर्थ'** शुरू किया है। जिसमें 200 से अधिक जैव उत्पाद हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये गुणवत्ता और शुद्धता के लिए देश–विदेश में प्रसिद्ध है। यह देश में जैविक उत्पादों के मौजूद 3 करोड़ उपभोक्ताओं को लक्षित करते हुए स्टोर देश के कई हिस्सों में शुरू करने की योजना बना रहा है। केंचुआ से खाद बनाने की विधि वर्मी कम्पोस्ट शेखावाटी की ही देन है। जो आज समूचे राजस्थान सहित कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पं. बंगाल उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। तथा वर्तमान में विकसित केंचुओं को दुनिया के कई देशों में निर्यात कर रहे है।

सीकर के एक किसान कैसे अपनी बेजान सी जमीन में नई जान फूंक सकता है, वह भी बिना किसी की सलाह लिए आज वे पूरा परिवार जैविक खेती के जरिए नए आयाम कायम कर रहा है। राजस्थान में रामकरण और उनकी पत्नी संतोष देवी को अब गांव ही नहीं पूरा इलाका जानने लगा है। सिर्फ डेढ़ हैक्टेयर जमीन से दम्पत्ति सालाना 13 लाख रूपये की कमाई करता है। छः साल पहले मुश्किल से 20–25 हजार रूपये की खेती थी। रामकरण ने सीकर के कृषि मेले में जैविक खेती के बारे में जाना और अनार की जैविक खेती शुरू की। आज इनके खेत में 220 अनार के पेड़ हैं, जिसकी फसल खरीदने के लिए लोग खुद इनके पास पहुंचते हैं। पोषकता

की दृष्टि से अधिक उत्पाद अनेक गुणकारी औषधियों से युक्त तथा बीमारीजनित दुष्प्रभावों से मुक्त होते हैं। अतः ये पौष्टिक और स्वादिष्ट तो हैं ही, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक हैं। विषैलेपन से मुक्त इन उत्पादों के प्रयोग से अनेक बीमारियों और पोषणीय कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हाल के कई शोध बताते हैं कि जैविक खेती रासायनिक तरीकों की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष

जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के स्थान पर जीवांश खाद पोषक तत्वों (गोबर की खाद कम्पोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि) जैव नाशियों (बायो–पैस्टीसाईड) व बायो एजेंट क्राईसोपा आदि का उपयोग किया जाता है। इससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। कृषि लागत घटते व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है, जो पर्यावरण की शुद्धता, जल व वायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली, धैर्यशील कृत संकल्पित होते हुए रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक को कम लागत से दीर्घकालीन स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारम्परिक पद्धति है।

दरअसल, पिछले कुछ समय से देश भर में जैविक खेती की तरफ किसानों का रूझान बढ़ा है। राज्य सरकारें इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित भी कर रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक किसान और कंज्यूमर दोनों में जैविक खेती पर जागरूकता की कमी हैं लेकिन रामकरण जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि जैविक खेती बड़े पैमाने पर अपनाने से आर्थिक हालत भी दुरूस्त होगी और लोगों के खाने–पीने में रसायन की मात्रा भी घटेगी। जैविक खेती प्रकृति का स्वाभाविक वरदान है। इनको कम कीमत पर आसानी से खेती पर तैयार किया जा सकता है, जैसे कम्पोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, जैव अपशिष्ट, बायोगैस से तैयार कम्पोस्ट, मुर्गी एवं पक्षियों का बीट, हड्डी चूर्ण, कीचड़, शीरा एवं गन्ने का अपशिष्ट, वर्मी कम्पोस्ट, नेडेप कम्पोस्ट, अरंडी, महुआ, नीम, मूंगफली, अलसी, सरसों, बिनौला की खली, सनई ऊँचा एवं दलहनों के फसली अवशेष आदि खेतों के जैविक पोषण के प्रमुख स्त्रोत हैं। उर्वरकों की तुलना में इनका प्रभाव दो–तीन वर्ष तक मृदा में कायम रहता हैं इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17 कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. आर्थिक समीक्षा 2016–17 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. कुरुक्षेत्र दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जनवरी–मार्च, 2014
5. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।
6. दैनिक भास्कर, जयपुर।
7. बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली।
8. राजस्थान पत्रिका, जयपुर।
9. इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली